



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

दूर शिक्षा निदेशालय प्रबंधन बोर्ड

[Board of Management]

की
द्वितीय बैठक
(दिनांक 20/12/2019)

कार्यवृत्त

स्थान : सभा कक्ष, हिंदी शिक्षण अधिगम केन्द्र, मं.गां.अं.हिं.वि., वर्धा

दूर शिक्षा निदेशालय

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा - 442001 (महाराष्ट्र)

फोन नं. 07152-247146, 255360

वेब साइट : www.hindivishwa.org

संचालित करने की संभावना की तलाश हेतु उससे से संपर्क करने के निर्देश दिए गये थे। डॉ. रविन्द्र टी. बोरकर से प्राप्त टिप्पणी के आलोक में दिनांक 25/09/2019 को आयोजित विभागीय बैठक में मा. कुलपति द्वारा इस पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु NIOS नई दिल्ली के साथ MOU करने के निर्देश प्राप्त हैं। तदनुसार MOU करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।

निर्णय : MOU का प्रारूप तैयार कर अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

मद संख्या 10 : दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम परियोजना रिपोर्ट (Programme Project Report) प्रबंधन बोर्ड के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। संचालित पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं-


1. PPR- B.Ed., 2. PPR- MBA, 3. PPR- MSW,
4. PPR- MJ, 5. PPR- MLibISc, 6. PPR- BLibISc,
7. PPR- BJ, 8. PPR- PGDEM&FP, 9. PPR- PGDJMC,
10. PPR- M.A. Hindi, 11. PPR- PGDCA, 12. PPR- DCA,
13. PPR- MA History, 14. PPR-M.A. Sociology,
15. PPR- M.A. Political Science. 16. PPR-B.A. (सलग्नक 7)


निर्णय : स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या 11 : सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम 2017 दिनांक 23/06/2017 के प्रावधानों के अनुसार अस्थायी मान्यता प्राप्त केन्द्रों की जाँच करने हेतु समिति गठित की गई। पत्रांक 023/Gen.sc/2018/14/2318 दिनांक 31/05/2019 के अनुसार गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत। (सलग्नक 8)

निर्णय : उक्त समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में संबंधित सभी अध्ययन केन्द्रों के संचालकों को UGC (मुक्त और दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा प्राप्ति) विनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार जिस अध्ययन केन्द्र को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था /महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त Affiliated है, उस विश्वविद्यालय का Affiliation letter/Order पत्र, आदेश एवं संबंधित विश्वविद्यालय का अधिनियम प्रस्तुत करने का अवसर (opportunity) दिया जाए। इस संदर्भ में पत्र के माध्यम से सभी अध्ययन केन्द्रों को सूचित किया जाए।

मद संख्या 12 : अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय
1) बी.ए. पाठ्यक्रम विवरण एवं पाठ्यचर्या स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।



9

20/12/19